लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4134

25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय निर्यातक

4134. श्री तापिर गाव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय यह किस प्रकार सुनिश्चित करता है कि हेमटेक्सटाइल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वाले भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर उपस्थिति का लाभ प्राप्त हो; और

(ख) क्या भारत और जर्मनी की टेक्सटाइल मशीनरी कंपनियों के बीच मौजूदा सहयोग अथवा समझौता ज्ञापन बेंचमार्क के रूप में कार्य कर सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): सरकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि भारतीय प्रदर्शकों को वैश्विक प्रदर्शन का लाभ मिल सके।

एमएआई योजना के अंतर्गत विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन/भागीदारी के लिए व्यय की प्रमुख पात्र मदें निम्नानुसार हैं:

i. आयोजन स्थल की लागत, जिसमें भागीदारी शुल्क/फीस और आयोजन व्यय शामिल हैं;
ii. क्रेता भागीदारी के लिए डिजिटल मार्केटिंग सहित प्रचार/विपणन/प्रचार पर होने वाला प्रचार खर्च;
iii. कैटलॉग/मुद्रित और डिजिटल सामग्री की लागत जिसमें ई-कैटलॉग/ई-ब्रोशर/वेब-बैनर/ऑनलाइन विज्ञापन और इसके डिजाइन और विकास/निर्माण सहित अन्य सामग्री की लागत शामिल है;
iv. अनुवाद और दुभाषिया हेतु शुल्क;
v. वस्तुओं की माल ढुलाई शुल्क पर व्यय;
vi. पिछले वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये से कम निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य वाली निर्यातक कंपनियों को हवाई किराये की प्रतिपूर्ति।
vii. अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विशिष्ट घटक।

(ख): जी नहीं, महोदय

***